LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BULLETIN PART – I
(Brief summary of proceedings)
Friday, 26 August, 2016 / 04 Bhadrapada, 1938 (Saka)

No. 38
2:05 P.M. **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1.	2.05 P.M.	**Question Hour:** Starred questions no. 62, 63, 67 to 70, 74, 75, 77 & 78 were asked and replied to. Replies to Starred questions 61, 64 to 66, 71 to 73, 76, 79 & 80 & un-starred questions no. 78 to 106 were placed on the table.
2.	3.41 PM	**Rulings of the Chair:** 1. The Chair stated that a notice of calling attention (Under Rule-54) regarding the tabling of C&AG Report in the House had been received from Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition. He stated that the Hon'ble Leader of Opposition had wasted 30 minutes of the House time on 24.8.2016, insisting that it was Constitutionally binding on the Government to table the CAG report immediately after its receipt. The Chair read out Article 151 of the Constitution of India and Section 48 of the Government of NCT of Delhi Act, 1991 according to which it was not mandatory for the Minister to lay on the Table the Audit Report immediately on its receipt. He also expressed concern over the fact that the Media had got hold of the Report before it was laid before the House. He stated that if the media reports were true then it was a serious matter. He stated that the media was expected to use its wisdom in deciding whether to publish such reports or not and whether any law was not being violated? The Chair also stated that the leakage of the Report was an insult of the Hon'ble Lieutenant Governor because it was the intent of the Constitution and the NCT Act that the Assembly and its Members should be informed first about the Report which was to be caused to be laid in the House by the Hon'ble Lieutenant Governor. The Chair also stated that as the publication of contents of the Report in the Media was a matter of recent occurrence, a calling attention had been allowed on the subject. He stated that Leader of Opposition's notice for Special Mention (Under Rule 280) on the subject had been admitted and the Hon'ble Leader of Opposition could express his opinion when the same was taken up. The Chair stated that due to these facts the notice of the Hon'ble Leader of Opposition under Rule-54 was not allowed. 2. The Chair stated that he had also received a notice of breach of privilege from the Hon'ble Leader of Opposition under Rule-66 against the Hon'ble Deputy Chief Minister on the same issue. He stated that he had ascertained the facts from the Hon'ble Deputy Chief Minister and came to the conclusion that there was no breach of privilege and hence he was not allowing the notice. He also stated that the Hon'ble Deputy Chief Minister had also agreed to present the facts to the House later in the day. 3. The Chair stated that he had received a notice of breach of privilege (under Rule-66) from Shri Pankaj Pushkar against the Hon'ble Deputy Chief Minister for allegedly giving misleading reply to the House. The Chair expressed surprise that the matter was first shared with the media before a notice was received by him. He stated that the Hon'ble Member ought to make use of the devices

		available under the Rules of Procedure to raise such issues. He stated that he was disallowing the notice. 4. The Chair stated that he had received a notice of calling attention (Under Rule 54) from Shri Praveen Kumar which he was not allowing as another issue had already been listed under Rule-54.
3.	3.51 PM	**Papers laid on the Table:** **Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Tansport** laid the copy of Separate Audit Report on the annual accounts of DTC Employees Provident Fund Trust fo the year 2013-14 (English & Hindi Version).
4.	3.53 PM	**Calling Attention (Rule-54):** **Shri Rajendra Pal Gautam** called the attention of the House towards the media reports alleging that the C&AG's Special Audit Report has found fault with the advertising by the Government of NCT of Delhi. **Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** made a statement and alleged that the Hon'ble Leader of Opposition had committed a breach of privilege by leaking the Report of the C&AG in his press release issued on 24 August, 2016 before the Report was tabled in the House. The Chair sought to know from the Hon'ble Leader of Opposition, whether the press release was indeed issued by him. The Leader of Opposition refused to say yes or no. The Chair referred the matter to the Committee on Privileges.
5.	4.35 PM	**Special Mention (Rule-280):** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair: 1. Sh. Praveen Kumar (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened)
6.	4.40 PM	**The Chair adjourned the House for Tea-break**
7.	5.08 PM	**House Reassembled, Hon'ble Speaker in-Chair**
		2. Sh. S.K. Bagga 3. Sh. Anil Kumar Bajpai (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened) 4. Sh. Rajendra Pal Gautam (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened) 5. Sh. Somnath Bharti (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened) 6. Sh. Raju Dhingan 7. Ms. Parmila Tokas (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened) 8. Sh. Shri Dutt Sharma (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened) 9. Smt. Bandna Kumari (Hon'ble Minister of UD & PWD intervened) 10. Sh. Som Dutt (Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition, who was not present in the House when his name was called for walked out)
8.	5.49 PM	**Short Duration Discussion (Rule-55):** Discussion on "*the alleged arbitrary use of Delhi Police against MLAs of the ruling party and the raid in the office of Delhi Commission for Women*" initiated by Sh. Jagdeep Singh on 24 August, 2016 continued. The following Members participated in the discussion:

		6. Shri Somnath Bharti 7. Shri Rajesh Rishi 8. Ms. Sarita Singh (6.09 P.M: The Chair extended the duration of the sitting till 6.30 PM) 9. Shri Jarnail Singh (Tilak Nagar) 10. Ms. Bhavna Gaur 11. Shri Surender Singh (6.30 P.M. : The Chair extended the duration of the sitting by 15 minutes. Shri Jagdish Pradhan, who had walked out earlier, returned to the House.) 12. Ms. Alka Lamba Sh. Satyender Jain, Hon'ble Minister of Home replied to the discussion. (6.45 P.M. : The Chair extended the duration of the sitting by 15 minutes)
9.	7.09 PM	The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and others for their co-operation in smooth conduct of the Session.
10.	7.12 PM	**National Anthem – *Jan-Gan-Man*** The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi
26 August, 2016

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 / 04 भाद्रपद, 1938 (शक)

संख्या–38

2.03 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1.	2.05 बजे	**प्रश्न कालः** तारांकित प्रश्न सं0 62, 63, 67 से 70, 74, 75, 77 और 78 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न सं. 61, 64 से 66, 71 से 73, 76, 79 तथा 80 और अतारांकित प्रश्न स. 78 से 106 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।
2.	3.41 बजे	**अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्थाः** 1. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष से सी. एण्ड ए. जी. रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–54 के अंतर्गत) की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 24.8.2016 को इस बात पर जोर देते हुए सदन का आधा घण्टा व्यर्थ किया गया कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरन्त सदन पटल पर रखना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है। अध्यक्ष महोदय ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 और रा.रा. राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 पढी जिसके अनुसार मंत्री के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होते ही सदन पटल पर रखना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की कि रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने से पहले ही मीडिया को प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि यदि मीडिया की रिपोर्ट में सच्चाई है तो यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि मीडिया से आशा की जाती है कि ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करे या नहीं या क्या इससे किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसमें मीडिया से अपने विवेक से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि रिपोर्ट का लीक होना माननीय उपराज्यपाल महोदय का अपमान है क्योंकि संविधान और रा.रा. राज्य क्षेत्र अधिनियम का यह उद्देश्य था कि विधान सभा और इसके सदस्यों को सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में सूचना दी जाये जो कि माननीय उपराज्यपाल महोदय के निमित्त सदन में रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि क्योंकि रिपोर्ट की विषय वस्तु का मीडिया में प्रकाशन हाल ही में घटित मामला है, अतः इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से (नियम–280 के अन्तर्गत) विशेष उल्लेख की सूचना स्वीकार की गयी है और इसे रखते समय माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इन्हीं कारणों से नियम–54 के अंतर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचना को अनुमति नहीं दी गई । 2. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इसी विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम–66 के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होने इस बारे में उप मुख्यमंत्री से तथ्यों की जानकारी ले ली है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। अतः वे इस सूचना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय उप मुख्यमंत्री आज ही बाद में तथ्य सदन में रखने पर सहमत हैं। 3. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उन्हें श्री पंकज पुष्कर से सदन को कथित भ्रामक

		उत्तर देने के लिए उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना (नियम–66 के अंतर्गत) प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें यह सूचना प्राप्त होने से पहले यह मामला मीडिया को दिया गया। उन्होंने बताया कि माननीय सदस्य को ऐसे मामले उठाने के लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में उपलब्ध उपायों का उपयोग करना जानना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे सूचना को अस्वीकार कर रहे हैं। 4. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उन्हें श्री प्रवीण कुमार से (नियम–54 के अन्तर्गत) एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसे वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि नियम–54 के अन्तर्गत एक दूसरा मामला पहले ही सूचीबद्ध हैं।
3.	3.51 बजे	**सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :** **श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय परिवहन मंत्री** ने वर्ष 2013–14 हेतु दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वार्षिक खाते के पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की हिन्दी–अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत की।
4.	3.53 बजे	**ध्यानाकर्षण (नियम–54):** **श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय सदस्य** ने मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप कि सी.ए.जी. के विशेष लेखा प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में दोष पाया गया है, के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया। **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री** ने उपरोक्त विषय पर वक्तव्य दिया तथा आरोप लगाया कि सदन मे नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इसे दिनांक 24 अगस्त, 2016 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लीक करके विशेषाधिकार का हनन किया है। अध्यक्ष महोदय ने माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह जानना चाहा कि क्या वास्तव में प्रेस विज्ञप्ति उनके द्वारा जारी की गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने हां या ना कहने से इंकार किया। अध्यक्ष महोदय ने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।
5.	4.35 बजे	**विशेष उल्लेख (नियम–280) :** निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :– 1. श्री प्रवीण कुमार (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया)
6.	4.40 बजे	**अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए स्थगित की।**
7.	5.08 बजे	**सदन पुनः समवेत हुआ।** **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
		विशेष उल्लेख (नियम–280) जारी...... 2. श्री एस.के.बग्गा 3. श्री अनिल कुमार बाजपेयी (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 4. श्री राजेन्द्र पाल गौतम (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 5. श्री सोमनाथ भारती (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 6. श्री राजू धिंगान 7. श्रीमती प्रमिला टोकस (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 8. श्री श्रीदत्त शर्मा (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया)

		9. श्रीमती बंदना कुमारी (माननीय शहरी विकास तथा लोक निर्माण मंत्री नें हस्तक्षेप किया) 10.श्री सोमदत्त (श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष नाम पुकारे जाने पर बहिर्गमन के कारण सदन में उपस्थित नहीं थे।)
8.	5.49 बजे	**अल्पकालिक चर्चा (नियम–55):** *"सत्ता पक्ष के विधायकों पर दिल्ली पुलिस का कथित मनमाने ढंग से इस्तेमाल तथा दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में छापे"* के संबंध में दिनांक 24 अगस्त 2016 को प्रारम्भ हुई चर्चा जारी। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : 6. श्री सोमनाथ भारती 7. श्री राजेश ऋषि 8. श्रीमती सरिता सिंह [6.09 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि 6.30 बजे तक बढ़ाई] 9. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) 10. सुश्री भावना गौड़ 11. श्री सुरेन्द्र सिंह [6.30 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि 15 मिनट तक बढ़ाई। श्री जगदीश प्रधान, जो सदन से बाहर चले गये थे, सदन में वापस आ गये।] 12. सुश्री अलका लाम्बा **श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया। [6.45 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि 15 मिनट तक बढ़ाई]
9.	7.09 बजे	अध्यक्ष महोदय ने सत्र के दौरान सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।
10.	7.12 बजे	**राष्ट्र गान–जन–गण–मन।** **सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।**

दिल्ली
26 अगस्त, 2016

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव